



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267565  
CG-DL-E-11112025-267565

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4930]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 4930]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

का.आ. 5085(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3574(E) तारीख 31.07.2025 जो भारत के साधारण राजपत्र तारीख 04.08.2025 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मिजोरम राज्य में पानीसागर-आइजोल प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन विद्धाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सधम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सधम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन विद्धाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन विद्वाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने विद्वाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन विद्वाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला : मासित		राज्य : मिजोरम			
ब्लॉक/तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्वलनुआम	कौरथह उत्तर	माम 7-53	00	05	30
		माम 7-54	00	20	95
		माम 7-55	00	21	75
		माम 7-56	00	01	70
		माम 7-57	00	03	50
		माम 7-58	00	11	10
	जमुआंग	माम 5-22	00	04	89
		माम 5-23	00	05	10
		माम 5-24	00	04	83

[फा. सं. एल-14014/109/2022-जीपी-II (ई-43045)]

रामजी लाल मीणा, अवर सचिव

### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

**S.O. 5085(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3574(E) dated 31.07.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Ordinary Gazette of India dated the 04.08.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Panisagar-Aizawl Gas Pipeline in the state of Mizoram by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

### SCHEDULE

District: Mamit		State: Mizoram			
Block/Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Zawlnuam	Kawrthah North	MAM 7-53	00	05	30
		MAM 7-54	00	20	95
		MAM 7-55	00	21	75
		MAM 7-56	00	01	70
		MAM 7-57	00	03	50
		MAM 7-58	00	11	10
	Zamuang	MAM 5-22	00	04	89
		MAM 5-23	00	05	10
		MAM 5-24	00	04	83

[F. No. L- 14014/109/2022-GP-II (E-43045)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.